

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3243
16.12.2024 को उत्तर के लिए

तेंदुए का हमला

3243. श्री बजरंग मनोहर सोनवणे :

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ :

श्रीमती सुप्रिया सुले :

श्री अमर शरदराव काले :

श्री संजय दीना पाटिल :

श्री नीलेश ज्ञानदेव लंके :

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील :

श्री भास्कर मुरलीधर भगरे :

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या हाल के वर्षों में मनुष्यों पर तेंदुए के हमले की घटनाओं में वृद्धि हुई है;
- (ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य में मनुष्यों पर तेंदुए के हमलों की कितनी घटनाएं सामने आई हैं और केंद्र सरकार द्वारा इन घटनाओं से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) क्या सरकार ने तेंदुए के हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों को कोई मुआवजा या सहायता प्रदान की है;
- (घ) क्या सरकार ने उक्त राज्य में तेंदुए के हमले की बढ़ती घटनाओं के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन या आकलन किया है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;
- (ङ) सरकार द्वारा मानव-वन्यजीव संघर्ष के मुद्दों का समाधान करते हुए तेंदुए की आबादी के संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और
- (च) क्या सरकार उक्त राज्य में तेंदुए की जनसंख्या में वृद्धि को नियंत्रित करने और विशेषकर तेंदुए से संबंधित मानव-वन्यजीव संघर्षों को कम करने के लिए उनके प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो इस संबंध में उठाए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ख): मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन सहित वन्यजीवों का प्रबंधन और उनकी सुरक्षा मुख्यतः संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है। तेंदुओं सहित जंगली जानवरों द्वारा मनुष्यों पर किए गए हमलों की घटनाओं की संख्या से संबंधित ब्यौरे मंत्रालय

में समेकित नहीं किए जाते हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, तेंदुए के हमलों के कारण मनुष्यों की मौत के मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	मनुष्यों की मौत के मामलों की संख्या
2019-20	07
2020-21	33
2021-22	26
2022-23	18
2023-24	15

देश में मानव-पशु संघर्ष की स्थिति का प्रबंधन करने और उसे कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- मंत्रालय ने मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों से निपटने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को दिनांक 6.2.2021 और 3.6.2022 को समग्र परामर्शिकाएं और दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- दिनांक 21.03.2023 को विभिन्न जंगली जानवरों जैसे हाथी, गौर, तेंदुआ, सांप, मगरमच्छ, रीसस मकाक, जंगली सुअर, भालू, ब्लू बुल और ब्लैकबक से उत्पन्न होने वाली संघर्ष की स्थितियों को कम करने के लिए प्रजाति विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- दिनांक 21.03.2023 को वन और मीडिया क्षेत्र के बीच सहयोग, मानव-वन्यजीव संघर्ष उपशमन के संदर्भ में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा; मानव-वन्यजीव संघर्ष से संबंधित स्थितियों में भीड़ प्रबंधन और मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों से उत्पन्न स्वास्थ्य आपात स्थितियों और संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के समाधान जैसे विविध क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- मंत्रालय द्वारा 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' तथा 'बाघ और हाथी परियोजना' नामक केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत जानवरों के प्रवेश को रोकने के लिए बाड़ लगाने, लूट-पाट रोधी दस्तों, त्वरित कार्रवाई दलों के गठन, अनुग्रह राहत राशि, जानवरों का पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित ट्रैकिंग प्रणाली आदि सहित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- मानव वन्यजीव संघर्ष के उपशमन में रेडियो कॉलरिंग, ई-निगरानी जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया जाता है।

- vi) स्थानीय समुदायों को पारिस्थितिकी-विकास संबंधी गतिविधियों के माध्यम से संरक्षण उपायों में शामिल किया जाता है, जिससे वन्यजीवों के संरक्षण में वन विभागों को मदद मिलती है।
- vii) मंत्रालय मानव-वन्यजीव संघर्ष के संबंध में जागरूकता सृजन, प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है।
- viii) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों से निपटने के लिए विनियामक कार्यों का प्रावधान है।

(ग): मंत्रालय ने दिसंबर 2023 के दौरान तेंदुए सहित जंगली जानवरों के हमलों के कारण मृत्यु या स्थायी अशक्तता के मामले में अनुग्रह राहत की राशि बढ़ा दी है। वर्तमान में केंद्र प्रायोजित योजनाओं - 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास', 'बाघ और हाथी परियोजना' के तहत देय अनुग्रह राहत राशि इस प्रकार है:

क्र.सं.	जंगली जानवरों के कारण होने वाले नुकसान की प्रकृति	अनुग्रह राहत राशि
i.	मृत्यु या स्थायी अशक्तता	रु.10.00 लाख
ii.	गंभीर रूप से जखमी	रु.2.00 लाख
iii.	मामूली रूप से जखमी	उपचार की लागत रु.25,000/- प्रति व्यक्ति तक
iv.	संपत्ति/फसलों का नुकसान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें अपने द्वारा निर्धारित लागत मानकों का पालन कर सकती हैं।

(घ): भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक 'महाराष्ट्र के जुन्नार तालुक में मानव-तेंदुए संघर्ष के उपशमन के लिए तेंदुए की संख्या को प्रभावित करने वाले कारक, स्थान उपयोग, आवागमन और आहार को समझना' शीर्षक से एक शोध परियोजना शुरू की है।

(ड.): देश में तेंदुओं की संख्या के संरक्षण और सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:

- i. तेंदुए को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध किया गया है जिससे इस प्रजाति को उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्राप्त हुई है।
- ii. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के तहत तेंदुओं सहित जंगली जानवरों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए देश भर में महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को शामिल करते हुए सुरक्षित क्षेत्रों अर्थात् राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक रिजर्वों का एक नेटवर्क तैयार किया गया है।

- iii. वन्यजीवों के संरक्षण को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस-पास पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) को अधिसूचित किया जाता है।
- iv. तेंदुओं सहित जंगली जानवरों और उनके पर्यावासों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीमों-‘वन्यजीव पर्यावासों का विकास’ तथा ‘बाघ और हाथी परियोजना’ के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(च): वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) (क) के तहत मुख्य वन्यजीव वार्डन को किसी भी व्यक्ति को तेंदुए सहित अधिनियम की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किसी भी ऐसे जंगली जानवर, जो मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया है, को पकड़ने, दवा द्वारा शांत करने या स्थानांतरित करने की अनुमति देने का अधिकार प्रदान किया गया है। यदि उसे पकड़ा, शांत या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, तो मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे जानवर को मारने की भी अनुमति दे सकता है।
